"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2009—कार्तिक 22, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/36/2009/वाक/पांच (44).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/27/2009/वाक/पांच (35) दिनांक 31-08-2009 में 1 दिसम्बर, 2009 की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

(1) अनुक्रमांक 2 के सामने कॉलम (2) एवं (3) से संबंधित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नानुसार प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए :—

अनुसूची

अ. क्र.	जांच चौकी या नाका के स्थान का नाम एवं वर्णन	जांच चौकी या नाका की स्थिति
(1)	(2)	(3)
2.	महासमुंद जिले में खम्हारपाली-भोथलडीह (सरायपाली)	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर संबलपुर मार्ग पर रायपुर से 165वें एवं 166वें किलोमीटर के मध्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ-10/36/2009/वाक/पांच (44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/36/2009/वाक/पांच (44), दिनांक 13-11-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 13th November 2009

NOTIFICATION

No. F-10/36/2009/CT/V (44).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in this department Notification No. F-10/27/2009/CT/V (35) dated 31-08-2009 with effect from 1st December, 2009 :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification,

(1) In S. No. 2 for the existing entries against column (2) & (3), the following entries shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No.	Name and description of places of check post or barriers	Location of check posts or barriers
(1)	(2)	(3)
2.	Khamharpali-Bhothaldih (Saraipali) in Mahasamund District.	Between 165th and 166th K. M. from Raipur on Sambalpur Road on National Highway No. 6.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.